पत्रांक :- बि०वि०मि०-स्था०(बैठक)-08/2016 (खंड) 881 (अनु.)

बिहार विकास मिशन

(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के शासकीय अधीन)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैम्पस,
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना-800023
दूरभाष संख्या:-0612-2285262

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
सदस्य सचिव -सह-
प्रधान सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव/ सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-23, दिनांक 03.08. 2017

विषय :- शासी निकाय की दिनांक-10.01.2017 को संपन्न बैठक के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-10.01.2017 को सम्पन्न बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के बैठक की निर्गत कार्यवाही ज्ञापांक-179, दिनांक-21.02.2017 में आपके विभाग से संबंधित संलग्न बिन्दु का अनुपालन प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि उसे आसन्न शासी निकाय की बैठक की कायार्वली में समाहित किया जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक-बि०वि०मि०-स्था०(बैठक)-08/2016 (खंड) 881 (अनु.) पटना-23, दिनांक 03.08. 2017

प्रतिलिपि - उप-मिशन निदेशक, पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण एवं नगर विकास उप-मिशन, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(नील कमल)
मुख्य महाप्रबंधक

IV. पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण एवं नगर विकास उप-मिशन

जिला मुख्यालय शहरों के लिए मास्टर प्लान का सूत्रणः- "सुशासन के कार्यक्रम 2015-20" पर चर्चा के क्रम में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 26 शहरों के GIS enabled Master Plan के सूत्रण के निमित्त परामर्शी के चयन हेतु प्रकाशित RFP के क्रम में प्राप्त आवेदनों की तकनीकी समीक्षा प्रक्रियाधीन रहने की सूचना दी गयी।

दीनदयाल अन्त्योदय योजनाः-(राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) अंतर्गत SHGs का गठन "सुशासन के कार्यक्रम 2015-20" के संबंध में बताया गया कि अब तक राज्य के कुल 140 नगर निकायों में से इस वर्ष 42 में लक्षित 6500 SHGs के गठन के विरूद्ध 3000 SHGs का गठन किये जाने की सूचना दी गयी।

शहरी फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन की स्थापनाः- "सुशासन के कार्यक्रम 2015-20" के संबंध में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा Bihar Street Vendors Rules and Scheme, 2016 का संशोधित प्रारूप अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किये जाने की सूचना दी गयी।